

67(LJ)

मध्यप्रदेश शासन  
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
:: आदेश ::

P. Chugh  
9.4.2018

भोपाल दिनांक 04.2018

क्र. एफ 16-04/2018/ए-ग्यारह:राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि नाहर ग्रुप द्वारा ₹ 508.00 करोड़ के पूंजी निवेश से मंडीदीप जिला रायसेन में स्पिनिंग, पीलूखेड़ी जिला राजगढ़ कपड़ा निर्माण एवं मंडीदीप जिला रायसेन में पॉली फिल्म की स्थापना संबंधी प्रस्ताव : इन्टेन्शन-टू-इन्वेस्ट क्रमांक CIE-14250 मेसर्स नाहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइसेज लिमि. द्वारा पीलूखेड़ी जिला राजगढ़ में ₹ 115.00 करोड़ के पूंजी निवेश से कपड़ा निर्माण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार विशेष सुविधाएं दी जावे:-

1. सबलीज की अनुमति - मे. ओसवाल वूलन मिल्स लि., को औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़ में औद्योगिक विकास निगम भोपाल द्वारा आवंटित प्लॉट क्र. 87 की 25 एकड़ भूमि मे. नाहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइसेज लिमिटेड के पक्ष में मध्यप्रदेश भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 अन्तर्गत सबलीज की अनुमति ।
2. स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से मुक्ति - परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समूह के आधिपत्य की भूमि हेतु नाहर समूह द्वारा प्रवर्तित कंपनियों/ अनुषांगिक कम्पनी/ सहयोगी कम्पनी/ एस.पी.व्ही/ नवीन कम्पनी के बीच अमलगेशन/ मर्जर/ एक्वीजेशन/ हस्तांतरण के फलस्वरूप भूमि के अंतरण/क्रय के लिखत पर देय स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जावेगी।
3. विद्युत शुल्क से छूट - परियोजना अन्तर्गत 33 के.व्ही. अथवा 132 के.व्ही. अथवा 220 के.व्ही. विद्युत भार पर 10 वर्षों के लिये विद्युत शुल्क से छूट।
4. विद्युत टेरिफ में रियायत - वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षों हेतु ₹ 5/- प्रति यूनिट की स्थिर दर से विद्युत उपलब्ध करायी जावे, परन्तु यह रियायत 31 मार्च, 2027 के पश्चात् देय नहीं होगी । संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) मध्यप्रदेश ट्रायफेक से अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकेगी ।
5. निवेश प्रोत्साहन सहायता- उद्योग संवर्धन नीति 2014(यथा संशोधित 2017) प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता 7 वर्षों के लिए शर्तों के अध्याधीन।
6. 132 केव्ही पावर सप्लाय- "मध्यप्रदेश पावर ट्रान्समिशन लि. द्वारा उनके प्लान अनुसार औद्योगिक क्षेत्र, पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़ में प्रस्तावित 132 केव्ही पावर सबस्टेशन वर्ष 2018 के अंत तक पूर्ण किया जावे।

निरंतर.....

7. ब्याज अनुदान - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) अनुसार टेक्टसाईल्स उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय सहायता अन्तर्गत भारत सरकार की टफ स्कीम (Tuf Scheme) में वस्त्र मंत्रालय के संकल्प क्रमांक 6/4/2007-सी 71, नवम्बर, 2007 में वर्णित अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये गये टर्म लोन पर ब्याज अनुदान शर्तों के अध्याधीन।
8. जल आवंटन - परियोजना को पार्वती नदी पर एकेव्हीएन, भोपाल द्वारा निर्मित बराज से रु. 5 प्रति किलो लीटर की दर से जल उद्वहन करने की अनुमति दी जावे। कम्पनी द्वारा स्वयं के व्यय से निर्मित बराज से परियोजना स्थल तक पाईप लाईन बिछायी जावे तथा जल दर समय-समय पर एकेव्हीएन, भोपाल के संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित की जावे।
9. नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति - परियोजना निर्माण अवधि में निर्माण सामग्री पर राज्य को प्राप्त नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति।
10. हरित औद्योगिकीकरण हेतु सहायता- उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानों के अध्याधीन 50% पूंजी अनुदान अधिकतम रुपये 25 लाख होगी।
11. प्रशिक्षण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति - परियोजनाओं में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों (नियमित एवं कान्ट्रैक्ट कर्मचारियों सहित) को 4 माह तक 50% वेतन की प्रतिपूर्ति अधिकतम रुपये 1 लाख तक की जावे। यह एकीकृत स्वीकृति प्रतिवर्ष अधिकतम रुपये 2 करोड़ की सीमा में होगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों के लिये देय होगी। इस प्रकार इस मद में अधिकतम रुपये 10 करोड़ के व्यय की एकीकृत प्रतिपूर्ति सभी 7 निवेश परियोजनाओं को मिलाकर की जा सकेगी। यह सहायता इन 7 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु ही देय होगी।
12. परियोजना को स्वीकृत विशेष सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया जावे।
13. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.....

पृ.क्रमांक एफ 16-04/2018/ए-ग्यारह  
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 06/04/2018

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
  2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
  3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
  4. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
  5. कलेक्टर, जिला राजगढ़।
  6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल।
  4. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स नाहर इण्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस लि. फोकल पॉइंट, लुधियाना-141010 (पंजाब)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग